न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत
पीठसीन अधिकारी श्री जयसिंह, आरएएस

वाद संख्या 170/2015

1. निदामदीन
2. फत्तूखां
3. दिल्लूखां पि. गुलाम रसूल
4. शमसुद्दीन जाति मुसलमान
5. मेहरदीन निवाससीगण गुलामवाला
6. मिश्रीखां तहसील कोलायत जिला बीकानेर

———वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील कोलायत

———प्रतिवादी

उपस्थिति :— 1. पैरोकार राज उपस्थित
2. श्री रामचन्द्र सिहं भाटी अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

दिनांक :— 28.02.2018

उपरोक्त रिमाण्ड प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 125, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत् न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष पेश किया जो दिनांक 07.01.1994 को स्वीकार कर डिक्री किया गया है। न्यायालय सहायक आयुक्त, कोलायत के निर्णय/डिक्री दिनांक 07.01.1994 के विरूद्ध राज्य सरकार की ओर से न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एंव राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 22.03.1999 को निरस्त की गई है। उपरोक्त अपीलीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष रिविजन प्रस्तुत की जो दिनांक 10.02.2004 को स्वीकार की जाकर प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एंव राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर को प्रतिप्रेषित किया। दिनांक 15.03.2005 को न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एंव राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर द्वारा अपील को स्वीकार कर न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय/डिक्री दिनांक 07.01.1994 को निरस्त कर दिया। अपीलीय न्यायालय के इस आदेश के विरूद्ध वादीगण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष द्वितिय अपील प्रस्तुत की जो दिनांक 14.06.2011 को स्वीकार कर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एंव राजस्व अपील अधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 15.03.2005 एंव विचारण न्यायालय सहायक आयुक्त

उपखण्ड अधिका
कोलायत जिला–बीकाने

Scanned by CamScanner

उपनिवेशन, कोलायत के निर्णय एंव डिक्री दिनांक 7.1.1994 को निरस्त कर विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया है कि वह व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक विवाद्यक पर अपना निष्कर्ष निमित्त कारणों सहित अंकित कर पुनः निर्णय पारित करें। उपरोक्त वाद उपनिवेशन विभाग से क्षैत्राधिकार परिवर्तन बाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुवा।

मूल वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के समक्ष पेश किया कि वादीगण की पुश्तैनी भूमि ग्राम गुलामवाला पुश्तैनी कृषि भूमि थी जिस पर पीढी दर पीढी कब्जा काश्त चला आ रहा है। ग्राम गुलामवाला रियासतकाल में जैसलमेर में था जहां किसी प्रकार राजस्व रिकार्ड नहीं रखा जाता था। ग्राम गुलामवाला का राजस्व रिकार्ड सर्वप्रथम सम्वत 2012 में सैटलमेन्ट विभाग द्वारा समरी बन्दोबस्त के रूप में तैयार किया गया जिसमें वादीगण के दादा खानमन्द के नाम 60 बीघा भूमि दर्ज की गई है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्तत आज दिनांक को भी पुश्तैनी बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। समरी बन्दोबस्त को राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं देने पर पुख्ता बन्दोबस्त किया गया जिसमें तत्कालीन हल्का पटवारी ने राजस्व रिकार्ड में वादीगण के दादा/पिता के नाम कहीं भी भूमि अंकित नहीं की तथा वादीगण की पुश्तैनी भूमि ग्राम गुलामवाला के चक 7 डी0एम0 में मुरब्बा नंबर 46/61 में किला नंबर 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 में 16 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/60 में किला नंबर 11, 12, 20 ता 24 में 7 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/62 में किला नंबर 1 ता 10 में 10 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/53 में किला नंबर 16 ता 19, 22 ता 24 में 7 बीधा तथा मुरब्बा नंबर 46/52 में किला नंबर 14 ता 17, 24, 25 में 6 बीधा कुल 46 बीधा भूमि बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से मनमाना तरीके से आराजी राज दर्ज कर दी गई है। उपरोक्त तमाम कार्यवाही विदाउट ज्यूरिसडिक्सन होने से एब इनिसियो वोईड है तथा ऐसी एब इनिसियो वोईड कार्यवाही से वादीगण के हक अधिकारों पर कोई विपरीत असर नहीं पडता है। वादीगण आराजी मुतनाजा चक 7 डी0एम0 में मुरब्बा नंबर 46/61 में किला नंबर 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 में 16 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/60 में किला नंबर 11, 12, 20 ता 24 में 7 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/62 में किला नंबर 1 ता 10 में 10 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/53 में किला नंबर 16 ता 19, 22 ता 24 में 7 बीधा तथा मुरब्बा नंबर 46/52 में किला नंबर 14 ता 17, 24, 25 में 6 बीधा कुल 46 बीधा भूमि के गैर खातेदार काबिज काश्तकार है तथा अपने हक अधिकारों की धोषणा कराने के मुश्तहक है।

उपरोक्त अनुवानी वाद में विचारण न्यायालय द्वारा निम्न तनकियात निश्चित की गई :– (अ) आयाकि विवादित कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है एंव वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है।

(ब) आया कि ग्राम गुलामवाला का समरी रिकार्ड नहीं बना जिसके कारण पुख्ता बन्दोबस्त में ढाल–बांछ में नाम अंकित होते हुवे भी पुख्ता पटटा काश्तकारों को नहीं दिया गया।

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

(स) आयाकि विवादित कृषि भूमि मौके पर कब्जा काश्त में है वादी शहादत सबूत रिकार्ड के आधार पर दुरूस्ती का अधिकारी है।

(द) रिलिफ

उपरोक्त प्रकरण रिमाण्ड होने पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसील राजस्व बज्जू से मौका एंव रिकार्ड की रिर्पोट मंगवाई गई जिसके अनुसार चक 7 डी0एम0 में मुरब्बा नंबर 46/61 में किला नंबर 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 में 20 बीधा कमाण्ड, मुरब्बा नंबर 46/60 में किला नंबर 1, 11, 12, 18 ता 25 में 11 बीधा कमाण्ड, मुरब्बा नंबर 46/62 में किला नंबर 1 ता 12, 14 ता 16, 19, 20 में 15 बीधा एंव किला नंबर 21 में 12 बिस्वां, किला नंबर 25 में 12 बिस्वां कुल 18.4 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/53 में किला नंबर 1 में 19 बिस्वां, किला नंबर 2 ता 9, में 8 बीधा, किला नंबर 10 में 17 बिस्वां, किला नंबर 11 में 17 बिस्वां, किला नंबर 12, 13, 15 ता 19 में 7 बीधा, किला नंबर 20 में 17 बिस्वां, किला नंबर 21 में 17 बिस्वां, किला नंबर 22, 23, 24 में 3 बीधा कुल 21.05 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/52 में किला नंबर 10 में 17 बिस्वां, किला नंबर 11 में 17 बिस्वां, किला नंबर 12 ता 19 में 8 बीधा, किला नंबर 20 में 17 बिस्वां, किला नंबर 21 में 17 बिस्वां, किला नंबर 22 ता 25 में 4 बीधा कुल 15.8 बीधा भूमि आराजी राज है तथा निदामखां, फतूखां, दिलूखां, समस्तदीन, मेहरअली, मिश्रीखां पि0 गुलाम रसूल कौम मुसलमान निवासी गुलामवाला द्वारा तार पटटी रोप कर कब्जा है। मु0न0 46/60 में आवासीय झौंपडा बना हुवा है, कुण्ड बना है। कब्जा काश्त पुराना है। वादीगण की ओर से नोटिस धारा 22 राज0 उपनिवेशन अधिनियम सम्वत 2055, 2056, 2063, 2069, 2071 पेश किये जो शामिल मिसल किये गये।

उभय पक्ष की बहस तनकीवार सुनी गई।

तनकी (अ) आयाकि विवादित कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है एंव वादीगण का मौके पर कब्जा काश्त है।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पुष्तैनी भूमि है जिस पर वादीगण का पीढी दर पीढी कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। ग्राम गुलामवाला की मिसल बन्दोबस्त तैयार करते समय उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज कर दी गई है जबकि वादीगण द्वारा राज्य सरकार को राजस्व जमा करवाया है जिसकी ढाल–बांछ में इन्द्राजात है। प्रकरण उच्चतर न्यायालय द्वारा निर्णित होने के बाद न्यायालयहाजा के समक्ष प्रस्तुत हुवा है। पूर्व में न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 07.01.1994 को पारित निर्णय/डिकी से पूर्व एंव आज दिनांक तक वादीगण का आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी वादीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा अपने खातेदारी हक अधिकारों की धोषणा करवाने के मुष्तहक है। तहसील रिर्पोट से भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज है। वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

ने अपने [illegible] के समर्थन में निम्न नजीर प्रस्तुत की :- RRT 2015(2) Page 1214 Rajasthan Tenancy Act, 1955—Sec. 88—Suit fo declaration of khatedari rights—Share of the plaintiff wrongly entered 1/12 instead of 1/8—Suit ecreed—Appeal dismissed—Trial court corrected the error committed by the Settlement department is beund to repeal the entries—Held, Appeal is devoid of substance & dismissef.

2016 RRD Page 270-- Rajasthan Tenancy Act, Sec.224 read with Sec-221—RAA set aside the order of trial court and passed a decree of khatedari if favour of appellant/plaintiff—Second appeal before Board—Held—RAA on the basis of entry as "Khudkasht" in revenue record during samvat 2006 to 2017, conferred khatedati on appellants—Rajasthan Tenancy Act become effective from Samvat 2012—Section 15AAA confers Tenancy rights on Maurusi—Khatedar rcorded in samvat 2012—Trial court faild to appreciate it—Decision of RAA upheld.

प्रत्युत्तर में पैरोकार राज का कथन है कि आराजी मुतनाजा राजस्व रिकार्ड में राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर वादीगण को कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता इसलिए वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ढाल–बांछ सम्वत 2017 एंव 2020. अनुसार वादीगण ने विवादित भूमि का राजस्व राज्य सरकार को जमा करवाया है तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 ग्राम गुलामवाला खसरा नंबर 70 तादादी 34 बीधा खानमन्द, बच्चूखां पि0 कामलखां सा. गुलामवाला के नाम से है। गवाहान के मुताबिक तथा रिर्पोट तहसील अनुसार आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। ऐसे काश्तकारों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सर्वे हिदायत जारी की गई है जिसमें ऐसे काश्तकार जो वंचित रहे हों, साक्ष्य के आधार पर रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश है। प्रस्तुत प्रकरण में ढाल–बांछ सम्वत 2017, 2020 तथा धारा 22 के नोटिस सम्वत सम्वत 2055, 2056, 2063, 2069, 2071, खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 तथा रिर्पोट तहसील से वादीगण का आराजी मुतनाजा पर एक लम्बे समय से कब्जा काश्त होना प्रमाणित है जिससे यह तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्व होती है।

(ब) आया कि ग्राम गुलामवाला का समरी रिकार्ड नहीं बना जिसके कारण पुख्ता बन्दोबस्त में ढाल–बांछ में नाम अंकित होते हुवे भी पुख्ता पटटा काश्तकारों को नहीं दिया गया।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पुश्तैनी भूमि है जिस पर वादीगण का पीढी दर पीढी कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। ग्राम गुलामवाला की मिसल बन्दोबस्त तैयार करते समय उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजी राज दर्ज कर दी गई है जबकि वादीगण द्वारा राज्य सरकार को राजस्व जमा करवाया है जिसकी ढाल–बांछ में

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

Scanned by CamScanner

...बांछ सम्वत 2017 एंव 2020 से प्रमाणित है। सम्वत 2019 में खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज है। प्रकरण उच्चतर न्यायालय द्वारा निर्णित होने के बाद न्यायालयहाजा के समक्ष प्रस्तुत हुवा है। पूर्व में न्यायालय सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत द्वारा दिनांक 07.01.1994 को पारित निर्णय/डिकी से पूर्व एंव आज दिनांक तक वादीगण का आराजी मुतनाजा पर निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी वादीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा अपने खातेदारी हक अधिकारों की धोषणा करवाने के मुश्तहक है। तहसील रिर्पोट से भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त दर्ज है तथा ढाल-बांढ सम्वत 2017, 2020 एंव खसरा गिरदावरी सम्वत 2019, धारा 22 की कार्यवाही नोटिस सम्वत सम्वत 2055, 2056, 2063, 2069, 2071 से भी आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित है जिससे साबित है कि आराजी मुतनाजा पर कब्जा काश्त होते हुवे भी वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं किया गया तथा वादीगण उपरोक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा अपने हक अधिकारों की धोषणा करवाने के मुश्तहक है। वादीगण के नाम सिलिंग सीमा से कम भूमि है। अपने कथन के समर्थन में वादीगण ने शपथपत्र प्रस्तुत किया है तथा वादीगण आराजी मुतनाजा के खातेदार काश्तकार है तथा अपने हक अधिकारों की धोषणा करवाने के हकदार है।

प्रत्युत्तर में पैरोकार राज का कथन है कि आराजी मुतनाजा प्रारम्भ से ही राजकीय भूमि रही है तथा वादीगण का कब्जा अवैध होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रस्तुत दस्तावेज ढाल-बांछ सम्वत 2017 एंव 2020 अनुसार आराजी मुतनाजा का राजस्व वादीगण द्वारा खजाना राज जमा करवाया गया है। वादीगण का आराजी मुतनाजा पर खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 तथा धारा 22 के नोटिस सम्वत सम्वत 2055, 2056, 2063, 2069, 2071 अनुसार भी कब्जा काश्त प्रमाणित है तथा वर्तमान में तहसील रिर्पोट अनुसार आराजी मुतनाजा पर वादीगण का कब्जा काश्त प्रमाणित है। जब वादीगण का कब्जा सम्वत 2017 एंव 2020 में विवादित भूमि पर था तथा वादीगण से राजस्व जमा करवाया गया था तो नियमानुसार वादीगण को राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। ऐसे काश्तकारों के लिए राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सर्वे हिदायत जारी की गई है जिसके अनुसार ऐसे वंचित काश्तकारों के मौके पर कब्जा काश्त की जांच कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के निर्देश दिये है। वादाधीन भूमि सिलिंग सीमा से कम भूमि है तथा उपरोक्त भूमि के अलावा वादीगण के नाम अन्यत्र भूमि नहीं है। वकील वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न नजीर पेश की है :- 2013 आरआरडी पेज 205 **Rajasthan Tenancy Act, Sec.88, 212— Appeal against order of RAA—Both appeals decided by Single judgment—Respodent No. 1 "R" had instituted a suit for declaration and permanent injunction**

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला-बीकानेर

Scanned by CamScanner

in respect of Kh. No. 1088 area one bigha & Kh. No. 1084/2 area 2 bigha—Disputed land was allotted by the Allotment Committee to "R" and possession handed over by patwari on 21.07.1970 but not entered in revenue records due to slackness of officials—Since allotment, the plaintiff is in continuous possession—Trial court dismissed the suit—RAA accepte the appeal—Allotment order Ex.1 adduced by "R"—Trial court ignored the material document Ex.1—Revenue officials failed to perform their imperial duty—Accrued rights of plaintiff curtailed—Trial court was not justified in rejecting the suit filed by "R"—Judgment of the first appellate court is not sustainable in law—The contention of the counsel of appellants is not elevant. जिससे प्रस्तुत दस्तावेजात, साक्ष्य वादीगण अनुसार उपरोक्त तनकी वादीगण के पक्ष में सिद्ध होती है।

तनकी संख्या 3 :— (स) आयाकि विवादित कृषि भूमि मौके पर कब्जा काश्त में है वादी शहादत सबूत रिकार्ड के आधार पर दुरूस्ती का अधिकारी है।

यह सर्वविदित है कि जैसलमेर रियासत के 45 गांव जो स्टेट विलय के बाद बीकानेर जिले में समायोजित किये गये है, उनमें पूर्व में किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड नहीं होने से समरी सैटलमेन्ट का कार्य भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा सम्वत 2011 से 2018 में किया गया तथा पुख्ता बन्दोबस्त का कार्य सम्वत 2019 से 2024 में किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज ढाल–बांछ सम्वत 2017 एंव सम्वत 2020 से 2015 अनुसार वादीगण द्वारा राजस्व खजाना राज जमा करवाया गया है तथा सम्वत 2019 खसरा गिरदावरी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त था तो पुख्ता बन्दोबस्त में काश्तकार का नाम दर्ज नहीं किया जाना प्रासंगिक प्रतित नहीं होता है जबकि ढाल–बांछ सम्वत 2017 एंव 2020, खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 तथा धारा 22 के नोटिस सम्वत सम्वत 2055, 2056, 2063, 2069, 2071, स्वतन्त्र गवाहान एंव तहसील रिर्पोट में मौके पर वादीगण का कब्जा माना है तथा सर्वे हिदायत श्रीमान आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर पत्रांक 24प–6 ( ) सर्वे/स.म/19/बी/14883 दिनांक 10.09.1979 के मुताबिक भी ऐसी त्रूटियों को दुरूस्त किया जा सकता है। वकील वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में निम्न नजीर पेश की है :— 2014 (1) RLW Page 264—(A) Rajasthan Tenancy Act, 1955,Sec.88 and 188—Suit for decleration of khatedari rights—Delay of 33 years—Petitioner continued to be in possession of the land and are still in possession of the same—Held—Delay in a case of declaratory suit would not have any adverse effect so far rights of petitioners are concerned—Delay is not fatal.

(B) Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955, Rule 4,6; Rajasthan Tenancy Act, 1955, Sec. 15] 16 and Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sc. 52—Settlement Department entered the land as charagah land—Land was situated in the midest of the khatedari

पीठासीन अधिकारी

Scanned by CamScanner

land of plaintiff-petitioner—Only such land could be recorded as charagarh, which has actually been occupied and used for grazing of cattels by the villagers—Held—Who ever is in actua cultivator possession on the date of commencement of the Act, would be entitled for khatedari rights. अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में साबित होती है।

—:आदेशः—

उपरोक्त तनकीयात अनुसार दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य व जिरह अनुसार विवादित भूमि ग्राम गुलामवाला ढाल–बांछ सम्वत सम्वत 2017 एंव 2020 तथा खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 अनुसार आराजी मुतनाजा वादीगण के कब्जा काश्त की भूमि है। स्वतन्त्र गवाहान, धारा 22 नोटिस सम्वत 2055, 2056, 2063, 2069, 2071 तथा रिर्पोट तहसील के मुताबिक वादीगण का चक डी0एम0 में मुरब्बा नंबर 46/61 में किला नंबर 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 में 16 बीघा, मुरब्बा नंबर 46/60 में किला नंबर 11, 12, 20 ता 24 में 7 बीघा, मुरब्बा नंबर 46/62 में किला नंबर 1 ता 5 में 5 बीघा, किला नंबर 6 में 10 बिस्वां, कि0न0 7 में 10 बिस्वां, कि0न0 8 में 10 बिस्वां, कि0न0 9 में 10 बिस्वां, कि0न0 10 में 10 बिस्वां कुल 7.10 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/53 में किला नंबर 16 ता 19, 22 ता 24 में 7 बीधा तथा मुरब्बा नंबर 46/52 में किला नंबर 14 ता 17, 24, 25 में 6 बीधा कुल 43.10 बीधा भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है। प्रसुतत नजीरों एंव सर्वे हिदायत के प्रकाश में तथा प्रस्तुत सिलिंग शपथपत्र अनुसार वादीगण को चक 7 डी0एम0 में मुरब्बा नंबर 46/61 में किला नंबर 1 ता 4, 8 ता 13, 18 ता 23 में 16 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/60 में किला नंबर 11, 12, 20 ता 24 में 7 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/62 में किला नंबर 1 ता 5 में 5 बीधा, कि0न0 6 में 10 बिस्वां, कि0न0 7 में 10 बिस्वां, कि0न0 8 में 10 बिस्वां, कि0न0 9 में 10 बिस्वां, कि0न0 10 में 10 बिस्वां कुल 7.10 बीधा, मुरब्बा नंबर 46/53 में किला नंबर 16 ता 19, 22 ता 24 में 7 बीधा तथा मुरब्बा नंबर 46/52 में किला नंबर 14 ता 17, 24, 25 में 6 बीधा कुल 43.10 बीधा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने तथा प्रतिवादी को चिर निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदनुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली दाखल दफ्तर हो।

(ज[?]सिंह)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला बीकानेर

Scanned by CamScanner